आदेश की सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख
11.01.2019		

न्यायालय जिला पदाधिकारी, पूर्णिया

सेवा अपील वाद संख्या-22/2018

1. **किरण कुमारी, पति-कुणाल कुमार, सा0-मोहनिया चकला, थाना-बनमनखी, जिला-पूर्णिया ।**

.... अपीलार्थी

1. **पूजा कुमारी, पति-प्रदीप कुमार, सा0-मोहनिया चकला, थाना-बनमनखी, जिला-पूर्णिया ।**
2. **बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बनमनखी ।**
3. **जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया ।**

.... विपक्षीगण

आ दे श

प्रस्तुत अपील वाद **जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया** के **ज्ञापांक-46/जि0प्रो0, दिनांक-13.01.2018** के विरूद्ध दायर किया गया है । यह मामला **आंगनबाड़ी केन्द, वार्ड नं0-11, पंचायत-मोहनिया चकला, परियोजना-बनमनखी** के **सेविका** पद से संबंधित है ।

अपीलार्थी द्वारा समर्पित अपील आवेदन का अवलोकन किया । उनका मुख्य रूप से कथन है कि मेधा सूची में प्रथम स्थान रहने तथा अन्य योग्यता के आधार पर परियोजना स्तर पर इनका चयन किया गया था । परन्तु जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा शैक्षणिक प्रमाण-पत्र को फर्जी बताते हुए अपीलार्थी के चयन को रद्द कर दिया गया । प्रस्तुत शैक्षणिक प्रमाण-पत्र **Board of Higher Secondery Education, Delhi** द्वारा निर्गत है, जो वैध प्रमाण-पत्र है । अतूएव माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील आवेदन स्वीकृत करते हुए विपक्षी सं0-01 का चयन संबंधी आदेश रद्द किया जाय ।

विपक्षी सं0-01 से प्राप्त कारणपृच्छा का अवलोकन किया । उनका मुख्य रूप से कथन है कि अपीलार्थी फर्जी शैक्षणिक प्रमाण-पत्र के आधार पर सेविका के चयन हेतु आवेदन-पत्र दिया गया था । उक्त प्रमाण-पत्र मार्गदर्शिका 2016 की कंडिका 04 में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप नहीं है । अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत **Board of Higher Secondery Education, Delhi** का प्रमाण-पत्र सही नहीं है । यह एक फर्जी संस्थान है, जिसकी जाँच हो चुकी है। इसी आधार पर निम्न न्यायालय द्वारा

अपीलार्थी के चयन को रद्द किया गया है। इस प्रकार यह अपील वाद खारिज करने योग्य है।

इस वाद में **जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया** के पत्रांक 503/जि0प्रो0 दिनांक 11.04.18 द्वारा मंतव्य प्रतिवेदन तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्णिया के पत्रांक 01/सा0शि0 दिनांक 02.01.19 के द्वारा सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त है। जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा सेविका चयन हेतु **Board of Higher Secondery Education, Delhi** से निर्गत शैक्षणिक प्रमाण-पत्र समर्पित किया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्णिया से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में **Board of Higher Secondery Education, Delhi** एक फर्जी संस्था है, जिसके आधार पर निम्न न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जा चुका है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अतः जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया के आदेश ज्ञापांक 46/जि0प्रो0 दिनांक 13.01.18 में पारित आदेश को यथावत रखते हुए अपीलार्थी का अपील आवेदन खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बनमनखी एवं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया को भेजें।

इसी के साथ अपील वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

जिला पदाधिकारी,
पूर्णिया।

जिला पदाधिकारी,
पूर्णिया।